## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 53/2016**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| प्रेमकंवर पत्नी बलवीरसिंह जाति राजपूत निवासी सिणला तहसील जैतारण जिला पाली | | 1 मानाराम पुत्र शिवराम जाति जाट निवासी कानावास तहसील जैतारण जिला पाली<br>2 मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेन्ट प्रा.लि. जरिये चिमनभाई पोपट भाई रफालिया जाति पटेल निवासी अहमदाबाद हाल निम्बोल तहसील जैतारण<br>3 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–
श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री जगदीश सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 21.3.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2013 बअनवान मानाराम बनाम प्रेमकंवर में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट एवं अन्य

रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत विभाजन कराने का निवेदन किया। जिसमें दिनांक 22.01.2013 को एकतरफा निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 30.12.2015 को अपील स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ववत अपीलाण्ट को किसी भी रूप में सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खरीदकर्ता है, मूल खातेदार नहीं है। जैर अपील वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में वर्ष 1997 से बंटवाडा एवं घोषणा का वाद संख्या 134/1997 विचाराधीन था, जो अणचाव कंवर बनाम बिशनसिंह था। इसके पश्चात अणचाव कंवर के स्थान पर अपीलाण्ट बतौर पक्षकार संयोजित हुई। उक्त वाद की अपील हुई, जो स्वीकार होकर पत्रावली पुनः रिमाण्ड की गई, जो वर्तमान में वाद संख्या 23/2002 के रूप में विचाराधीन है। चूंकि मूल खातेदारान् के मध्य वाद विचाराधीन है, तो खरीददार का वाद पोषणीय नहीं होकर धारा 10 सी0पी0सी0 के तहत स्थगित किये जाने योग्य था। अणचाव कंवर व अपीलाण्ट का पति रिश्तेदार है। अणचांव कंवर द्वारा अपीलाण्ट को भूमि का बेचान किया गया, जिसमें बेचान के पेज संख्या 3 पर मौके की स्थिति स्पष्ट करते हुए पडौस दर्शित किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत मौका स्थिति प्रकट करते हुए जैर अपील निर्णय पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो तनकीयात कायम की तथा न ही किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया एवं अपीलाण्ट को जवाब एवं दस्तावेज पेश करने का भी अवसर नहीं दिया गया। इस कारण जैर अपील निर्णय विधिक दृष्टिकोण से विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया किया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सद्भावी क्रेता होकर अपने हिस्से अनुसार काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत कोई भी सह खातेदार बंटवाडे का वाद प्रस्तुत कर सकता है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वह दोनो पक्षों की उपस्थिति में मौका देखा जाकर तैयार की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर दोनों पक्षों को सुनकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलाण्ट मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाहते है तथा बंटवाडा नहीं करवाने की मंशा से कानूनी पेचिदगियों का लाभ प्राप्त कर रहे है। अतः अपील खारिज करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत वाद प्रस्तुत कर अपनी सह खातेदारी भूमि मौजा सिणला के खसरा नम्बर 649 रकबा 31.18 बीघा किस्म बारानी द्वितीय में से अपने 396/438 हिस्से की खातेदारी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर पृथक से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट की अनुपस्थित दर्ज करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो अपील संख्या 18/2013 पर दायर होकर दिनांक 30.12.2015 को निर्णित हुई, जिसमें पारित निर्णय अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2013 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलाण्ट को साक्ष्य, सबुत, सुनवाई, जवाब का अवसर दिया जाकर विवादित भूमि का पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.02.2016 को उपस्थित रहने हेतु निर्देश दिये गये। नियत तारीख पर पेशी इल्तवा की गई, इसके पश्चात दिनांक 09.03.2016 को भी पेशी इल्तवा की गई। इसके पश्चात दिनांक 24.05.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प डिगरना में जैर अपील वादस्थ भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने के आदेश पारित किए गए, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/रेस्पोडेन्ट को कैम्प में उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का नोटिस ही जारी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2015 के अनुसार प्रकरण में अपीलाण्ट को साक्ष्य, सुनवाई, जवाब का समुचित अवसर प्रदान करने के निर्देश जारी किये गये थे, जिनकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई पालना नहीं की गई। विधि अनुसार समस्त पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए ही निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट को न तो जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा न ही किसी प्रकार की विधि सम्मत कार्यवाही की गई, जिसके कारण जैर अपील निर्णय समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2013 बअनवान मानाराम बनाम प्रेमकंवर में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाण्ट को जवाब, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली